



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2016/ माघ 19, 1937

No. 342]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2016/ MAGHA 19, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

का.आ. 397(अ).- केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2275(अ), तारीख 18 अगस्त, 2015, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), 20 अगस्त, 2015 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 73.55 हेक्टेयर (लगभग) या 181.66 एकड़ (लगभग) परिक्षेत्र की भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखण्ड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 73.55 हेक्टेयर (लगभग) या 181.66 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा-वर्णित 73.55 हेक्टेयर (लगभग) या 181.66 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/12/2015, तारीख 7 दिसम्बर, 2015 का निरीक्षण तपायुक्त, जिला लातेहार, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता- 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, राजहरा, जिला लातेहार, झारखंड, महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची, झारखण्ड या मुख्य महाप्रबंधक, (गवेषणा प्रभाग), सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, गोडवाना पैलेस, काँके रोड, राँची, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची
तेतरियाखार खुली खदान परियोजना
जिला — लातेहार (झारखण्ड)

(रेखांक संख्या आरईवी/12/2015, तारीख 7 दिसम्बर, 2015)

सभी अधिकार:

क्र. सं.	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र (एकड़ में)	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणियाँ
1.	नगरा	बालूमाथ	68	लातेहार	120.90	48.95	भाग
2.	बसिया	बालूमाथ	215	लातेहार	60.76	24.60	भाग
कुल:					181.66 एकड़ (लगभग)	73.55 हेक्टेयर (लगभग)	

ग्राम नगरा में अर्जित की गई प्लॉटों की संख्या: 1098 से 1117, 1118(भाग), 1119 से 1127, 1334 से 1340, 1342 से 1347, 1348(भाग), 1349(भाग), 1358 से 1361, 1363(भाग), 1364 से 1392, 1394 से 1438, 1441, 1454 से 1469, 1559, 1560 (भाग), 1561(भाग), 1562 से 1665, 1667 (भाग) और 1704 (भाग) ।

ग्राम बसिया में अर्जित की गई प्लॉटों की संख्या: 2098(भाग), 2106, 2112(भाग) और 2114.

ब्लॉक-I

क-ख : रेखा, बिन्दु 'क' से आरम्भ होती है और प्लॉट संख्या 1704 और 1561 और कोयला धारक अधिनियम क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन का. आ. 3155, तारीख 4 अक्टूबर, 1962 द्वारा अर्जित क्षेत्र से गुजरती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

ख-ग : रेखा, प्लॉट संख्यांक 1561, 1560 से होते हुए भूधा नदी के किनारे होते हुए जाती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है ।

ग-घ- : रेखा, प्लॉट संख्यांक 1559, 1561, 1562, 1441, 1438, 1454, 1455, 1452, 1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, ड-क 1469, 1424, 1423, 1335, 1333, 1340, 1344 के किनारे से और प्लॉट संख्यांक 1348, 1349, 1363, 1361, 1358, 1359, 1127, 1131, 1117, 1116, 1115, 1114, 1002, 1012, 1011, 1100, 1198, 1105, 1106, 1109, 1112, 1620, 1621, 1622, 1667, 1644, 1645, 1666, 1665 और 1562 से गुजरती हुई प्रारंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

ब्लॉक-II

च-छ-ज : रेखा, बिन्दु 'च' प्लॉट संख्यांक 2098 और 2099, 2102, 2104, 2105 के किनारे से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है।

ज-झ : रेखा, बिन्दु 'ज' से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 2115, 2117, 2118, 2119, 2113, 2120 के किनारे से गुजरती है और 2112 और प्लॉट संख्यांक 2111, 2110, 2109, 2108, 2107, 2147 के किनारे से गुजरती हुई बिन्दु 'झ' पर मिलती है।

झ-च : रेखा, बिन्दु 'झ' प्लॉट संख्यांक 2146, 2106 और 2098 के किनारे से गुजरती हुई प्रारंभिक बिन्दु 'च' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/17/2014-पीआरआईडब्ल्यू-1]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

S.O. 397(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2275(E), dated the 18th August, 2015 issued under sub-section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th August, 2015 the Central Government gave notice of its intention to acquire all right in and over the land measuring 73.55 hectares (approximately) or 181.66 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of Section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that the surface rights in and over the land measuring 73.55 hectares (approximately) or 181.66 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that all rights in and over the land measuring 73.55 hectares (approximately) or 181.66 acres (approximately) described in the Schedule annexed hereto are hereby acquired.

The plan bearing number REV/12/2015, dated the 7th December, 2015 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District Latehar, Jharkhand or at the Office of Coal Controller, 1, Council House street, Kolkata -700001 or in the Office of the of General Manager Rajhara, District Latehar, Jharkhand or General Manager (Land and Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, Jharkhand or Chief General (Exploration Division) Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.

SCHEDULE

Tetariakhar Open Cast Project
Districts- Latehar(Jharkhand)

(Plan bearing number Rev/12/2015, dated the 7th December, 2015)

All Rights:

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area (in acres)	Area (in hectares)	Remarks
1.	Nagra	Balumath	68	Latehar	120.90	48.95	Part
2.	Basiya	Balumath	215	Latehar	60.76	24.60	Part
Total:					181.66 (approxim- ately)	73.55 (approxim- ately)	

Plot numbers acquired in village Nagra: 1098 to 1117, 1118(P), 1119 to 1127, 1334 to 1340, 1342 to 1347, 1348(P), 1349(P), 1358 to 1361, 1363(P), 1364 to 1392, 1394 to 1438, 1441, 1454 to 1469, 1559, 1560(P), 1561(P), 1562 to 1665, 1667(P) and 1704(P).

Plot numbers acquired in village Basiya: 2098(P), 2106, 2112(P) and 2114.

Boundary description:

Block-I

- A-B Line starts from point 'A' and passes through plot numbers 1704 and 1561 acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 under sub -section (1) of section 9 *vide* S.O number 3155, dated the 4th October, 1962 and meets at point 'B'.
- B-C Line passes through plot numbers 1561, 1560 and through bank of Bhutha Nadi and meets at point 'C'.
- C-D-E-A Line passes through outer line of plot numbers 1559, 1561, 1562, 1441, 1438, 1454, 1455, 1452, 1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1469, 1424, 1423, 1335, 1333, 1340, 1344 and passes through plot numbers 1348, 1349, 1363, 1361, 1358, 1359, 1127, 1131, 1117, 1116, 1115, 1114, 1002, 1012, 1011, 1100, 1198, 1105, 1106, 1109, 1112, 1620, 1621, 1622, 1667, 1644, 1645, 1666, 1665 and 1562 and meets at starting point 'A'.

Block II

- F-G-H Line started from point 'F', passes through plot number 2098 and outer line of plot numbers 2099, 2102, 2104, 2105 and meets at point 'H'.

- H-I Line passes from point 'H' through outer line plot numbers 2115, 2117, 2118, 2119, 2113, 2120 and passes through plot number 2112 and outer line of plot numbers 2111, 2110, 2109, 2108, 2107, 2147 and meets at point 'I'.
- I-F Line passes from point 'I' through outer line of plot numbers 2146, 2106 and 2098 and meets at starting point 'F'.

[F. No. 43015/17/2014-PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.